



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं केन्द्रीय कोयला व खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने सोमवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में भारतीय खान ब्यूरो द्वारा आयोजित खदानों के सम्मान समारोह में 7 एवं 5 स्टार रेटिंग वाली खदानों के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया।

# मुख्यमंत्री व केन्द्रीय खान मंत्री ने 7 व 5 स्टार माइन्स को सम्मनित किया

## भारतीय खान ब्यूरो खनन गतिविधियों के साथ पर्यावरण संरक्षण व सामाजिक उत्तर दायित्व के आधार पर खदानों की रेटिंग करता है

जयपुर, 7 जुलाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान खनन क्षेत्र के विकास के लिए पारदर्शी प्रक्रियाओं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तथा आधारभूत संरचना के विस्तार के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारा लक्ष्य है कि राजस्थान खनन में अग्रणी बने। उन्होंने उधिमयों का आ न करते हुए कहा कि राजस्थान में लोहे से लेकर सोने तक खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। वे प्रदेश में निवेश करें, राज्य सरकार उन्हें हर संभव सहयोग देने के लिए कटिबद्ध है।

शर्मा एवं केन्द्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी सोमवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में भारतीय खान ब्यूरो द्वारा आयोजित 7 एवं 5 स्टार रेटिंग वाली खदानों के सम्मान समारोह में शिरकत कर रहे थे। समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टार रेटिंग प्रणाली खनन गतिविधियों की मूल्यांकन प्रक्रिया के साथ पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा देती है। उन्होंने भारतीय खान ब्यूरो द्वारा पुरस्कृत खदानों के प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए कहा कि राजस्थान में भी खदानों का इस तरह से मूल्यांकन कर रेटिंग देने का नवाचार किया जाएगा।

शर्मा ने कहा कि राजस्थान में पूर्ववर्ती सरकार के समय वर्ष 2023-24 में माइनिंग रॉयल्टी के रूप में राजस्व, 3 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ, महज 7 हजार 460 करोड़ रुपये रहा। जबकि

■ मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयास से 2024-25 में राजस्थान की रॉयल्टी में गत वर्ष के मुकाबले 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

■ बैठक में मुख्यमंत्री व केन्द्रीय खान मंत्री ने मुख्यमंत्री आवास पर खान विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक की।

की मूल्यांकन प्रक्रिया के साथ पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा देती है। उन्होंने भारतीय खान ब्यूरो द्वारा पुरस्कृत खदानों के प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए कहा कि राजस्थान में भी खदानों का इस तरह से मूल्यांकन कर रेटिंग देने का नवाचार किया जाएगा।

शर्मा ने कहा कि राजस्थान में पूर्ववर्ती सरकार के समय वर्ष 2023-24 में माइनिंग रॉयल्टी के रूप में राजस्व, 3 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ, महज 7 हजार 460 करोड़ रुपये रहा। जबकि

हमारे प्रयासों से 2024-25 में रॉयल्टी राजस्व 9 हजार 228 करोड़ रहा, जो गत वर्ष से 24 प्रतिशत अधिक था। यह रॉयल्टी राजस्व एक रिकॉर्ड है। समारोह में मुख्यमंत्री शर्मा और जी. किशन रेड्डी ने 7 एवं 5 स्टार रेटिंग वाली खदानों के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश में खनन से राजस्व अर्जन के साथ, खनन और पर्यावरण के मध्य संतुलन पर भी विशेष जोर दे रही है।

मुख्यमंत्री एवं केन्द्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर खान विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में असीम खनिज संपदा की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, नए खनिज ब्लॉक्स की पहचान की जाए। साथ ही, नीलामी प्रक्रिया में तेजी लायी जाए।

केन्द्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा कि राजस्थान खनिज संपदा की दृष्टि से समृद्ध राज्य है। यहां बहुमूल्य एवं दुर्लभ खनिजों की व्यापक संभावनाएं हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश में ग्रीन एनर्जी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए दुर्लभ खनिजों के सुनियोजित एवं तीव्र खनन पर विशेष बल दे रहे हैं।

इस दिशा में राजस्थान की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।

## ‘3 से 5 करोड़ ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

की रिश्तत निजी संस्थानों से ली गई थी, ताकि एनएमसी की मान्यता मिल सके, चाहे मेडिकल बुनियादी ढांचा कैसा भी हो।

डॉ. मेहरोत्रा ने कहा, “यह कहानी स्वयं स्वास्थ्य मंत्रालय के अंदर शुरू हुई, जहाँ अधिकारी मेडिकल कॉलेजों की मंजूरी से संबंधित संवेदनशील फ़ाइलों को एक्सेस और साझा करते हैं।” ये दस्तावेज, जिसमें आंतरिक नोटिंग, निरीक्षण कार्यक्रम और पहचान की जानकारी होती है, उन्हें गुप्तचर तरीके से मोबाइल के माध्यम से निजी एजेंटों को भेजा जाता है, जो देशभर के मेडिकल कॉलेजों के लिए पांच सदस्यीय सूची में से एकमात्र तंबित प्रकरण है।

अब भी 27 वकील अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, जिनमें से चार महिलाएं हैं - शमीमा जहां (गुवाहाटी हाईकोर्ट, जनवरी 2024), श्रीजा विजयलक्ष्मी (अप्रैल 2024), ताजल वाशी (गुजरात हाईकोर्ट, अक्टूबर 2024), और शीतल मिर्षा (राजस्थान हाईकोर्ट, मार्च 2025)।

उन्होंने कहा, इस प्रारंभिक जानकारी से कॉलेजों को निरीक्षणों का आयोजन करने में सहायता मिलती है, जिसमें नकली फैकल्टी, प्रांक्सि मरीज और जाली बायोमेट्रिक उपस्थिति दिखाई जाती थी, जिससे इन्हें एनएमसी से अनुकूल रिपोर्ट मिलती थी।

डॉ. मेहरोत्रा ने पुष्टि की, निरीक्षण टीमों को नियमित रूप से रिश्तत दी जाती थी, और कुछ मामलों में, अधिकारियों ने कॉलेजों को जाली दस्तावेज व फर्जी योग्यता तय करने में मदद तक दी, ताकि अधिकारियों द्वारा नियामक कार्यवाही पूरी की जा सके और इन कॉलेजों को मान्यता मिल सके।

## शताब्दी ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

के संगठन के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने सोमवार को यहां केशव कुंज में एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि संघ की स्थापना के शताब्दी वर्ष में हिंदू समाज में धर्म जागरण और बुद्धि का दूर करने को लेकर देशभर में मंडल और गांव स्तर पर एक लाख से अधिक जाग्रहों पर हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इसी तरह खंड और नगर में 11,360 स्थानों पर सामाजिक सद्भाव बैठकें और 924 जिलों में प्रमुख नागरिक गोष्ठियां भी आयोजित की जाएंगी।

उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम आगामी दो अक्टूबर, विजयदशमी से शुरू होंगे और एक साल तक चलेंगे। मुख्य कार्यक्रम नागपुर में आयोजित किया जाएगा।

# बिहार मतदाता सूची पर चुनाव आयोग के खिलाफ सुनवाई 1 0 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की डबल बैंच ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल का शीघ्र सुनवाई का अनुरोध स्वीकार किया

नयी दिल्ली, 07 जुलाई। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि बिहार की मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण करने के चुनाव आयोग के फैसले की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 10 जुलाई को विचार होगा।

न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की अंशकालीन कार्य दिवस पीठ ने याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के इस मामले में शीघ्र सुनवाई करने का अनुरोध स्वीकार करते हुए कहा कि अदालत गुवार को इस मामले में विचार करेगी।

बिहार में नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण करने के चुनाव आयोग के इस फैसले पर सवाल उठाये जा रहे हैं। विभिन्न

# तहव्वुर राणा ने माना कि वह पाक सेना के बेहद करीब है एनआईए की पूछताछ में राणा एक एक करके कई राज उगल रहा है

नई दिल्ली, 07 जुलाई। 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों से जुड़े एक अहम घटनाक्रम में मुंबई फ़ाइल ब्रांच ने इसी साल अप्रैल में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की कस्टडी में बंद मुख्य आरोपी तहव्वुर राणा से गहन पूछताछ की थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार, इस मामले में जांच के दौरान कई जानकारीयों पहले से ही रिकॉर्ड में थीं। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि राणा अभी भी मानसिक रूप से अपने दिए हुए पुराने जवाबों पर टिका हुआ है। पुलिस को वह जानकारीयों तो दे रहा है, लेकिन उसके बातचीत के तरीके से उसकी कट्टरपंथी विचारधारा भी झलकती है।

अपने बयान में राणा ने दावा किया कि वह पाकिस्तानी सेना का एक भरोसेमंद व्यक्ति था। उसने बताया कि इराक़ द्वारा कुवैत पर आक्रमण के दौरान उसे सकूदी अरब में एक गुप्त मिशन पर भी भेजा गया था, जिससे पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान के लिए उसके रणनीतिक महत्व का पता चलता है।

राणा ने बताया कि उसने 1986 में रावलपिंडी के आर्मी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की थी, जिसके बाद उसे क्वेटा में कैप्टन (डॉक्टर) के पद पर नियुक्त किया गया। उसने सिंध, बलूचिस्तान, बहावलपुर और सियाचिन-बालोतरा सेक्टर सहित, पाकिस्तान के कई संवेदनशील सैन्य क्षेत्रों में भी काम किया।

पूछताछ के दौरान, राणा ने अब्दुल रहमान पाशा, साजिद मीर और मेजर इकबाल को जानने की बात भी स्वीकार

# ‘अशोक गहलोत सुर्खियों में रहना बंद कर, धरातल पर आयेँ’ संसदीय कार्यमंत्री जोगा राम पटेल ने कहा कि गहलोत की पार्टी का अध्यक्ष ही उनकी बात खारिज कर रहा है

जोधपुर, 7 जुलाई (कांस)। संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सुर्खियों में रहना बंद करके धरातल पर आना चाहिए, क्योंकि उनके बयानों को उनकी पार्टी के अध्यक्ष ही खारिज कर रहे हैं। पटेल ने सोमवार को सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत की ओर से गत दिनों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को हटाने के षड्यंत्र संबंधी बयान को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में यह बात कही।

पटेल ने कहा कि वे कहते हैं, सीएम हट जाएंगे, जबकि उनके नेता गोविंद डोटासरा कहते हैं कि सरकार पांच साल चलेगी, गहलोतजी के पास कोई शिगूफा आया होगा। ऐसे में उनको सुर्खियों में रहना बंद करके धरातल पर आना चाहिए। पटेल ने कहा कि गहलोत ने केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत के साथ समझौते के लिए बात की है, जिसका जवाब केन्द्रीय मंत्री ने दिया है,

■ पटेल ने कहा कि गहलोत को समझना चाहिये कि समय के साथ सभी किनारे आते हैं। उन्हें इसे सहन करना चाहिये व अपनी पार्टी के नये लोगों को आशीर्वाद देना चाहिये।

क्योंकि एक पुत्र के मन में अपनी मां के अपमान के प्रति स्वाभाविक पीड़ा होती है। पटेल ने गहलोत पर तंज कसते हुए कहा कि उनको यह समझना चाहिए कि समय के साथ धीरे-धीरे सभी लोग किनारे आते हैं, इसलिए इसे सहन करना चाहिए। अपनी पार्टी के नए लोगों को आशीर्वाद देना चाहिए।

पटेल ने कहा कि प्रदेश में सीएम बदलने की कोई कवायद नहीं है। हमारे नेतृत्व ने साफ कहा है कि हमारे यहां सीएम पांच साल के लिए बनता है, इसलिए सीएम बदलने का सवाल ही नहीं है। राजस्थान में भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में विकास हो रहा है। इस कारण पीएम खुद तीन दौर लगातार कर चुके हैं, इसलिए भजनलाल शर्मा पूरे पांच साल

काम करेंगे और प्रदेश का विकास करते रहेंगे और अगले टर्म में भी सीएम भजनलाल शर्मा ही होंगे।

पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत और केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत के बीच मानहानि के मामले को लेकर चल रहे विवाद पर पटेल ने कहा कि अशोक गहलोत ने रिपोर्ट को देखकर उनकी माताजी का नाम लिया, यदि ऐसा है तो वे उसे सामने रखें। पटेल ने दावा किया कि जो रिपोर्ट जांच एजेंसी एसओजी ने कोर्ट में पेश की है, उसमें, ऐसी किसी भी रिपोर्ट में, शेखावतजी की माताजी सहित किसी सदस्य का नाम नहीं है। सिर्फ राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते आरोप लगाए थे। अब कह रहे हैं कि समझौता कर लो। इसके लिए शेखावत

ने इनकार किया है। मंत्री पटेल ने हनुमान बेनीवाल के उस आरोप का खंडन किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा के नेता बिना अधिकार सरकारी आवास में रहे रहे हैं। पटेल ने कहा कि हमारा कोई भी नेता या विधायक बिना अधिकार के सरकारी आवास में नहीं रह रहा है। उनको क्या है कि विधायक नहीं होते हुए भी सरकारी आवास पर कब्जा जमाए बैठे हैं। वे किस हँसियत से वहां रह रहे हैं। अपनी गलती छिपाने के लिए दूसरों पर आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि यदि नाम है तो सूची बताएं। गुजर आरक्षण को लेकर बनाई गई मंत्रिमंडलीय कमेटी पर पटेल ने कहा कि सभी विभागों से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवा ली है। अब समाज के वरिष्ठ लोगों से बात करेंगे, आंदोलन में शामिल लोगों से मिलेंगे। उनकी सुनवाई कर उनका पक्ष जायेंगे। उनको जो न्यायोचित हक मिलना चाहिए, वह दिलाने का प्रयास करेंगे। इससे नाराजगी दूर होगी।

## मेवाड़ की ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

देखना उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि ऐसी रैलियों और मीटिंगों से पार्टी को फायदा हो? या फिर उनका काम सिर्फ गहलोत और उनके करीबी लोगों को खुश करना ही है?

मेवाड़ की 28 सीटों में से कांग्रेस सिर्फ 6 सीटें जीत पाई थी, जबकि सी. पी. जोशी खुद को इस इलाके का नेता मानते हैं।

सूत्रों के अनुसार, इस रैली का मकसद आदिवासियों को पार्टी से जोड़ना नहीं था, बल्कि दिल्ली की राजनीति में पैर जमाने तथा वहाँ कोई पद पाने की कोशिश थी। जोशी दिल्ली आकर के. सी. वेणुगोपाल, माणिकम टैगोर और राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले अन्य लोगों से मिले, ताकि दिल्ली में कोई पद मिल सके। शाहद इसी वजह से पवन खेड़ा को बुलाया गया, जबकि वे आदिवासी नहीं हैं।

अपना पद बचाने के लिए, रंधावा अब वेणुगोपाल के करीबी हो गए हैं, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की राजनीति को लेकर उनकी भूमिका और ज्यादा विवाद पैदा कर रही है।

# सैनेटरी पैड वाले राहुल के वीडियो पर दिल्ली में भी एफआईआर

नयी दिल्ली, 07 जुलाई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के सैनेटरी पैड वीडियो से जुड़े विवाद को लेकर यहां एक शिकायत दर्ज की गई है, जिसे मिलाकर, देशभर में इस मुद्दे में अब तक तीन शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं।

युवा कांग्रेस के अनुसार, यह शिकायत संगठन के अध्यक्ष उदय भानु चिव, बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्ण अल्लावर, लीगल सेल के चेयरमैन रुपेश सिंह भट्टीरिया के नेतृत्व में यहां मंदिर मार्ग पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है। युवा कांग्रेस को रहीं नई राज्या गया तो, मनमाने ढंग से और उचित प्रक्रिया के बिना, लाखों मतदाताओं को अपने प्रतिनिधियों को चुनने से वंचित किया जा सकता है।

■ बिहार में सैनेटरी पैड पर राहुल गांधी का फोटो लगाने संबंधी फेक वीडियो पर अब तक तीन शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं।

तथा कर्नाटक में इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। एक एफआईआर तेलंगाना राज्य लीगल सेल अध्यक्ष अधिवक्ता जे. शिवा चरण रेड्डी और समन्वयक अधिवक्ता गुड्डर निखिल रेड्डी के नेतृत्व में अपराधियों के खिलाफ दर्ज की गई है। कर्नाटक में, बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

## बिहार में विधानसभा से पहले मतदाता सूचि के विशेष गहन पुनरीक्षण के फैसले का राजनीतिक दलों के अलावा कई स्वयंसेवी संस्थाएं भी विरोध कर रही हैं।

राजनीतिक दलों के अलावा, कई स्वयंसेवी संस्थाएं पुनरीक्षण के लिए निर्धारित समय समेत, अन्य व्यावहारिक दिक्कतों का हवाला देते हुए आयोग के इस फैसले का खुलकर विरोध कर रही हैं। उनका कहना है कि इससे बड़ी संख्या में मतदाता अपने मतधिकार से वंचित हो सकते हैं। इसलिए याचिकाकर्ताओं ने अदालत से गुहार लगाते हुए कहा है कि चुनाव आयोग के गत 24 जून को जारी उक्त आदेश को रद्द कर दिया जाए।

याचिकाकर्ताओं में कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल, तृणभूषण कोसरे सांसद महुआ मोइत्रा, राष्ट्रीय जनता दल सांसद मनोज कुमार झा,

19, 21, 325 और 326 के साथ-साथ, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 21 ए के प्रावधानों का उल्लंघन है। उन्होंने तर्क दिया कि यदि इस आदेश को रद्द नहीं किया गया तो, मनमाने ढंग से और उचित प्रक्रिया के बिना, लाखों मतदाताओं को अपने प्रतिनिधियों को चुनने से वंचित किया जा सकता है।

## हाईकोर्ट ने...

( प्रथम पृष्ठ का शेष ) कि आरोपी बाहुल्य और प्रभावशाली है। धौलपुर में केस की सुनवाई होने से याचिकाकर्ता के साथ-साथ गवाहों की जान-माल को भी खतरा है। आरोपी मलिंगा के खिलाफ अन्य अपराधिक प्रकरण भी दर्ज हैं। ऐसे में केस को धौलपुर से बाहर भेजा जाए।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सांसद सुप्रिया सुले, सीपीआई के महासचिव डी राजा, शिवसेना (यूबीटी) के अरविंद सावंत, झारखंड मुक्ति मोर्चा सांसद सरफराज अहमद और भाकपा (एमएल) के दीपांकर भट्टाचार्य शामिल हैं। इसी प्रकार, गैर सरकारी संगठनों – एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, पीयूसीएल और सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव समेत अन्य ने इस संबंध में फैसले की वैधता को शीर्ष अदालत में चुनौती देते हुए अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं।

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि यह कदम संविधान के अनुच्छेद 14,

## एसआई 2021 ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष ) कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में भर्ती को फिलहाल निरस्त नहीं करने की बात कही है और इसे मुख्यमंत्री स्तर पर भी सहमति दी जा चुकी है। इस याचिका में सब कमेटी के इस आदेश को चुनौती नहीं दी गई है। ऐसे में याचिका को सारहीन मानते हुए खारिज किया जाए। यदि याचिकाकर्ता सब कमेटी के निर्णय को चुनौती देना चाहे तो उसके लिए अलग से याचिका दायर कर सकता है।

इस दौरान अदालत ने कहा कि मुख्यमंत्री स्तर पर मामला इतने दिनों तक लंबित क्यों रहा। इसके साथ ही अदालत में पहले की राय को लेकर सारी नोटशीट पेश क्यों नहीं की गई। इस पर महाधिवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय में पत्रावली का परीक्षण चल रहा था और मामले में पूरी पारदर्शिता से निर्णय लिया गया है। दूसरी ओर, राज्य सरकार के प्राथम पत्र का जवाब देते हुए याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता हेरेंद्र नील ने कहा कि भर्ती रद्द करने की मांग आज भी जीवित है। कोर्ट की ओर से कार-बार कहने के बाद ही भर्ती निरस्त नहीं करने का निर्णय पेश किया गया है। ऐसे में याचिका को सारहीन नहीं कहा जा सकता।